बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैस्क संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं.सं.-नि.प्रा./नि॰ 1-59/2009 -405 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)
सभी नोडल पदाधिकारी
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय :- पैक्स चुनाव : कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नामांकन देने से रोकने, अभित्रसित करने, बल प्रयोग करने तथा अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु रिश्वत आदि देने के संबंध में।

महाशय,

निर्वाचन के समय दबंग अभ्यर्थियों द्वारा कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दबाव, अपहरण, अभित्रास अथवा सदोष परिरोध (Wrongful confinement) अथवा बल प्रयोग द्वारा नामांकन करने से रोके जाने अथवा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेने हेतु रिश्वत देने एवं अनुचित प्रभाव डालने जैसी कार्रवाई की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना पर चोट है जिसके प्रति प्राधिकार अत्यन्त गंभीर है। यद्यपि प्राधिकार अधिनियम में तथा भारतीय दंड संहिता में ऐसी कार्रवाईयां निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आती हैं तथा इनसे निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं, तथापि ऐसे मामलों में बहुधा प्रशासन के स्तर से गंभीरतापूर्वक जाँच नही की जाती है तथा दोषी बच निकलते हैं।

2. भारतीय दंड संहिता में निर्वाचन अपराध के ऐसे मामलों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान नीचे उद्धृत हैं :-

"Section 171Bof the Indian penal Code-Briberey at election :

(1)whoever –

(i)gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or

(ii)accepts either for himself for for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offence of bribery;

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2)A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3)A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for

doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

Section 171C of the Indian Penal Code-Unique influence at elections :-

(1)Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

(2)Without prejudice to the generality of the provisions of Sub-Section(1), whoever:-

(a)threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or

(b)Inducesor attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an oject of Divine displeasure or of spiritual censue, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section(1)".

(3)A declaration of public policy or a promise of public action or the mere exercise of a public right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 171ए में मत देने के अधिकार से मतलब है, किसी व्यक्ति का किसी निर्वाचन में खड़ा होने या न होने, या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने या मत देने अथवा नहीं देने से संबंधित अधिकार। धारा 171 बी एवं 171सी के अधीन रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव के लिए एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(16)(ग) में प्रावधान है कि **किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना मतदान केन्द्र पर कब्जा करने का अपराध माना जाएगा, और जो व्यक्ति यह अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे तीन वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्षो से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे पाँच वर्षो तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।** बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 14 के प्रावधान भी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के समरूप हैं तथा इसके अधीन रिश्वत एवं अनुचित प्रभाव को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई करने के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी निर्वाचन को रद्द घोषित करने तथा दोषियों को पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किसी निकाय की सदस्यता हेतु अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की जा सकती है।

जहाँ भ्रष्ट आचरण पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकारी विहित हैं, वहीं रिश्वत या अनुचित प्रभाव का मामला प्रतिवेदित होने पर भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन भी दोषियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

दोषियों पर अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(7) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है जिसका संगत अंश निम्नांकित है :–

''कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।''

5. प्राधिकार की इच्छा है कि **जैसे ही अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र देने से रोकने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने के उद्देश्य से अभित्रसित करने या बल प्रयोग करने अथवा रिश्वत या अनुचित प्रभाव दिखलाने की शिकायत या सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को मिलती है, तो उनके स्तर से पुलिस प्राधिकारियों को अविलंब मामले की जाँच करने हेतु कहा जाना चाहिए तथा दोषियों पर अभियोजन चलाया जाना चाहिए।** साथ ही

निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले का तथ्य प्राधिकार को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए एवं नियमित अंतराल पर वैसी शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रगति से आयोग को अवगत कराते रहना चाहिए।

6. कृपया इस पत्र की पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर आरक्षी पदाधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों एवं नामांकन के समय अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को उपलब्ध करा दी जाए एवं उन्हें प्राधिकार के निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करने का निदेश दिया जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- 405 , पटना दिनांक- 22 मई, 2009

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी